राज्यपाल सचिवालय, बिहार

राजभवन, पटना–800022

अपीलीय प्राधिकार के समक्ष सूचना का अधिकार संबंधी अपील वाद

संख्या–101 (लो0सू0अ0)/2022–23

श्री भरत मंडल, पिता–स्व॰ लाल जी मंडल, मुहल्ला–चौधरी टोला, वार्ड नं॰–13,पोस्ट+थाना–कहलगाँव, जिला भागलपुर

बनाम

लोक सूचना पदाधिकारी सह कुलपति, तिलका माँझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक
16.03.2023	श्री भरत मंडल, पिता–स्व॰ लाल जी मंडल, मुहल्ला–चौधरी टोला, वार्ड नं॰–13,पोस्ट+थाना–कहलगाँव, जिला–भागलपुर के माध्यम से एक प्रथम अपील आवेदन दिनांक–03.03.2022 इस कार्यालय में दिनांक–15.03.2023 को प्राप्त हुआ है। उक्त अपील आवेदन के साथ शुल्क के रूप में 10/- रूपए का पोस्टल ऑर्डर संख्या–59F 478105 दिनांक–अस्पष्ट संलग्न है। इसे लेखा शाखा को हस्तगत करायें। अपीलार्थी श्री भरत मंडल ने अपने अपील आवेदन में यह सूचित किया है कि उनके द्वारा दिनांक–02.12.2022 को सूचना अधिकार अधिनियम– 2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन लोक सूचना पदाधिकारी–सह–कुलपति, तिलका माँझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर को दिया था, परंतु सूचना लोक सूचना पदाधिकारी–सह–कुलपति, तिलका माँझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर उपलब्ध नहीं कराया है, जिसके फलस्वरूप प्रथम अपीलीय प्राधिकार–सह–महामहिम राज्यपाल के समक्ष प्रथम अपील दायर किया है, परंतु आवेदन के साथ संलग्न पत्र के अवलोकन से प्रतीत होता है कि लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय ने अपने पत्रांक–आर॰टी॰आई॰/टी॰एम॰बी॰यू॰–105/2022–256 दिनांक–12.12.2022 के माध्यम से सूचना का प्रेषण किया जा चुका है। साथ ही श्री उक्त अपील आवेदन के साथ प्रपत्र 'क' दिनांक– 02.12.2022 की प्रति भी संलग्न है। विदित हो कि कोई भी विश्वविद्यालय एक स्वायत (Autonomous) संस्था है तथा यह सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत एक स्वतंत्र लोक प्राधिकार है, जिसके कारण संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा अपने विश्वविद्यालय के लिए लोक सूचना पदाधिकारी एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकार को Designate किया जाता है। अतः विश्वविद्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत दायर होने वाले आवेदन के लिए लोक सूचना पदाधिकारी एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकार उक्त विश्वविद्यालय के अंतर्गत ही रहते हैं न कि राज्यपाल सचिवालय अथवा कुलाधिपति कार्यालय में। अपीलकर्ता श्री भरत मंडल ने गलत अपीलीय प्राधिकार के समक्ष प्रथम अपील दायर किया है, अतः इसे अस्वीकृत किया जाता है। सभी संबंधित को सूचित करें। 16/3/2023 विशेष कार्य पदाधिकारी सह प्रथम अपीलीय प्राधिकार